न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2021/387

प्रार्थना पत्र संख्या 80/2021

तारीख रजू 04.10.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मलारना डूंगर

..........प्रार्थी

बनाम

1. जाकिर अली पुत्र शाकिर अली निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर।

.......अप्रार्थी

निर्णय दिनांक 16.01.2026

यह प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थी जाकिर अली पुत्र शाकिर अली निवासी ग्राम खिरनी तहसील मलारना डूंगर को आराजी खसरा नम्बर 10362 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 वाके ग्राम खिरनी में आदेश दिनांक 11/07/2000 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 10362 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटी का कब्जा नहीं होने व आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्रार्थना पत्र पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 10362 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 पर मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2021 के अनुसार आवंटियो का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। आज दिनांक तक जमाबन्दी में भी खातेदार [illegible] निःश्च तर्क किया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 के अनुसार उक्त भूमि पड़त है [illegible] कि आवंटन शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। अन्त में पेरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 11.07.2000 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:47 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्रकरण में पेरोकार राजस्व की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार आवंटी जाकिर अली पुत्र शाकिर अली निवासी खिरनी को आराजी खसरा नम्बर 10362 में से रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 आदेश दिनांक 11/07/2000 द्वारा आवंटित किया गया था। आवंटित शुदा भूमि का गैर खातेदारी का नामांतकरण संख्या 733 दर्ज होकर दिनांक 01/12/2000 को स्वीकार हुआ। फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार गैर-खातेदार जाकिर अली पुत्र शाकिर अली निवासी खिरनी का खसरा सं0 10362 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 पर मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2073 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पड़ी हुई है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना पाया गया है। अतः तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 में वर्णित आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने तथा अप्रार्थी का वर्तमान में आवंटित शुदा भूमि खसरा नम्बर 10362 रकबा 0.25 है0 साबिक ख0नं0 1260/1 वाके ग्राम खिरनी पर कब्जा नहीं होने के कारण कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के अन्तर्गत आवंटन आदेश दिनांक 11/07/2000 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार मलारना डूंगर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम खिरनी के आराजी खसरा नम्बर 10362 रकबा 0.25 है0 वाके ग्राम खिरनी को राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज करे।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.03.09 12:39:47 IST
Reason: SelfAttested